रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1987/श्रावण 15, 1909
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1987/SRAVANA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1987

सं. 4/1/87-डी. वी. ए.-2—केन्द्र सरकार चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों हेतु प्रत्यक्ष केन्द्रीय अनुदान/राजसहायता के बारे में भारत सरकार के पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ

7(15)/71-आई. सी. दिनांक 26 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

2. शीर्षक "प्रारंभ और अवधि" के अंतर्गत पैरा 2 में विद्यमान पैरा के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"इस योजना को 1 अप्रैल, 1987 से 31 जुलाई, 1987 तक चार माह की अवधि के लिए और बढ़ाया जाता है ।"

जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1987

No. 4|1|87-DBA-II.—The Central Government makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development Notification No. F. 7(15)|71-IC dated the 26th August, 1971 regarding Central Outright Grant|Subsidy for industrial units to be set up in selected backward districts|areas, as amended from time to time :—

2. In para 2 under the heading "Commencement and Duration", the following may be added after the existing para :—

"The Scheme is further extended for a period of four months with effect from 1st April, 1987 to 31st July, 1987."

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987